न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
74/2022 (GCMS 2022/74)	29.03.2022	25.05.2022

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुशील जैन पुत्र ओम प्रकाश जैन खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स जैन सुपर मार्केट, 28–29–30, भूतल दिवाकर कॉम्पलैक्स, कलेक्ट्री सर्किल, चित्तौड़गढ़

2–श्री भरत सिंह राव पुत्र कुशल सिंह राव, मालिक श्री कलिका इन्टरप्राईजज, सी–50, बापू नगर, सैंती, चित्तौड़गढ़

3–श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र गंगा सहाय गुप्ता, भागीदार मैसर्स नीरज मार्केटिंग, मकान नं. 05, जैन गार्डन बास बदनपुरा, जयपुर

4–श्रीमति प्रियंका गुप्ता पत्नि अशोक कुमार गुप्ता, भागीदार मैसर्स नीरज मार्केटिंग, मकान नं. 05, जैन गार्डन बास बदनपुरा, जयपुर

5–मैसर्स नीरज मार्केटिंग, मकान नं. 05, जैन गार्डन बास बदनपुरा, जयपुर

6–Sh Raju Bhai Rathod, Nominee Address:- Juno Talodara Road, Katya Kadi Vistar, Shil, Junagarh, Gujrat M/S SDP Industries Pvt Ltd, Survey No. 54/2, 54/2A, 54/2B Behind Somnath Fire Station, Ringanwada, Village Dabhel, Daman, DND & DD-396210, Registered Office:-505, 5th Floor, M. L. Spaces, Dashrathlal Joshi Road, Vile Palre (West), Mumbai.

7–M/S SDP Industries Pvt Ltd, Survey No. 54/2, 54/2A, 54/2B Behind Somnath Fire Station, Ringanwada, Village Dabhel, Daman, DND & DD-396210, Registered Office:-505, 5th Floor, M. L. Spaces, Dashrathlal Joshi Road, Vile Palre (West), Mumbai.

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं धारा 51 एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल मित्तल ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं धारा 51 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 से केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है तथा राजस्थान के समस्त क्षेत्र इनके कार्यक्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.03.2021 को समय 2.15 पी.एम. पर मैसर्स जैन सुपर मार्केट, 28–29–30, भूतल दिवाकर कॉम्पलैक्स, कलेक्ट्री सर्किल, चित्तौड़गढ़ पर पहुंचा। वहां पर श्री सुशील जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाकर पूछने पर श्री सुशील जैन ने स्वयं को मैसर्स जैन सुपर मार्केट का खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता के विक्रय हेतु Ghee Cow (Gokul) के 500 एम एल के 5 जार पैक रखे थे उक्त पदार्थ के अवमानक/मिसब्राण्ड का शक होने पर 500 एम एल Ghee Cow (Gokul) के 4 जार पैक खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक को सूचित करते हुए वास्ते जांच खरीदे, जिसकी कीमत श्री सुशील जैन को 960/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए। खरीद रसीद मूल न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा उपस्थित गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुशील कुमार व गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक को देकर असल पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Ghee Cow (Gokul) के 500–500 एम एल के 4 जार पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर चित्तौड़गढ़ के कोड़ एवं क्रमांक एएम–1312 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने

हस्ताक्षर किये तथा खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएम–1312 नियमानुसार चारों भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए तथा सीलबन्द नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक उदयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। दो प्रति फार्म नं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक 1672 दिनांक 22.04.2021 एवं 2616 दिनांक 02.07.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ Ghee Cow (Gokul) का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया जो जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। खाद्यकारोबारकर्ता द्वारा फार्म नं. 8 में अपील प्रस्तुत करने पर नमूना पुनः जांच हेतु जरिये ममोरेण्डम रेफरल प्रयोगशाला में भेजा गया जिसकी प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त नमूना बाद जांच सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। रेफरल प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल

प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 1672 दिनांक 22.04.2021 एवं पत्रांक 2616 दिनांक 21.07.2021 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/946 दिनांक 08.03.2022 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने सबस्टैण्डर्ड Ghee Cow (Gokul) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर गवाह संख्या 2 भानू प्रताप सिंह गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, निदेशालय जयपुर गवाह संख्या 3 गोपाल धाकड़ पुत्र शंकरलाल धाकड़ ग्राम माधोपुर, तहसील बेगूं एवं गवाह संख्या 4 डॉ0 रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, कार्यालय निदेशालय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 से 7 की ओर से पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह स्वयं उपस्थित तथा अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राव ने अधिकार पत्र पेश किया तथा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस किए जाने हेतु निवेदन किया जिस पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने मौखिक तौर पर परिवाद को स्वीकार किया एवं निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पूर्व में किसी भी जांच में खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाये गये हैं यह प्रथम जांच है जिसमें

अप्रार्थीगण का खाद्य पदार्थ सब स्टैन्डर्ड पाया गया है अप्रार्थीगण की आजीविका का एक मात्र साधन उक्त व्यवसाय ही है एवं अप्रार्थीगण छोटे व्यापारी है तथा प्रथम दोष है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर आज ही प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 नमूना क्रय रसीद की प्रति एवं फार्म नंबर 5 ए से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ Ghee Cow (Gokul) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 4 व 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 26.03.2021 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ Ghee Cow (Gokul) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1312** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 76 से सील चपडी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल द्वारा पत्रवाहक महेन्द्र सिंह के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1312** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 7 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 8 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक महेन्द्र सिंह द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 30.03.2021 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य

सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 10 से 13 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2021/1672 दिनांक 22.04.2021 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 110/ACT/2021/120 Dated 07-04-2021** एवं संशोधित रिपोर्ट क्रमांक **PHL/2021/174** दिनांक 23.06.2021 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 110/ACT/2021/120** दिनांक 07.04.2021 एवं संशोधित रिपोर्ट क्रमांक **PHL/2021/174 Dated 23-06-2021** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल मित्तल द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 76 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 30.03.2021 से 07.04.2021 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Ghee (Gokul) bearing code no. and serial no. AM-1312 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh Is Sub-standard & Misbranded Food. The sample is Misbranded food under section 3(1)(Zf)(C)(i) of the Food Safety and Standards Act 2006. The Sample Is sub-standard as B.R. reading does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food safety and standards (Food Products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety & standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1312** Ghee Cow (Gokul) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(Zf)(C)(i)** एवं **3(1)(zx)** के तहत मिसब्राण्ड एवं अवमानक स्तर का पाया गया अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2021/2616 दिनांक 21.07.2021 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर अप्रार्थी द्वारा नमूने की जांच हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त नमूने की जांच रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर में कराई गई। रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.11.2021 अनुसार उक्त नमूना

सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया जिसकी सूचना अभिहीत अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को जरिये पत्रांक/एफएसएसए/2021/5531 दिनांक 16.12.2021 से दी गई जो कि दस्तावेज क्रमांक 19 होकर रेकार्ड पर है। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2022/946 दिनांक 08.03.2022 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 20 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थीगण द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को मौखिक रूप से स्वीकार किया है एवं यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्तगण को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के

प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री सुशील जैन पुत्र ओम प्रकाश जैन खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स जैन सुपर मार्केट दिवाकर कॉम्पलैक्स चित्तौड़गढ़ तथा अप्रार्थी संख्या 2 श्री भरत सिंह राव पुत्र कुशल सिंह राव मालिक श्री कलिका इन्टरप्राईजज, बापू नगर सैंती चित्तौड़गढ़ प्रत्येक को 5000/– रूपये अक्षरे पांच हजार रूपये तथा अभियुक्त संख्या 3 से 7 श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र गंगा सहाय गुप्ता, भागीदार मैसर्स नीरज मार्केटिंग, श्रीमति प्रियंका गुप्ता पत्नि अशोक कुमार गुप्ता, भागीदार मैसर्स नीरज मार्केटिंग, मैसर्स नीरज मार्केटिंग, मकान नं. 05, जैन गार्डन बास बदनपुरा, जयपुर, Sh Raju Bhai Rathod, Nominee Address:- Juno Talodara Road, Katya Kadi Vistar, Shil, Junagarh, Gujrat M/S SDP Industries Pvt Ltd, Survey No. 54/2, 54/2A, 54/2B Behind Somnath Fire Station, Ringanwada, Village Dabhel, Daman, DND & DD-396210, Registered Office:-505, 5th Floor, M. L. Spaces, Dashrathlal Joshi Road, Vile Palre (West), Mumbai. तथा M/S SDP Industries Pvt Ltd, Survey No. 54/2, 54/2A, 54/2B Behind Somnath Fire Station, Ringanwada, Village Dabhel, Daman, DND & DD-396210, Registered Office:-505, 5th Floor, M. L. Spaces, Dashrathlal Joshi Road, Vile Palre (West), Mumbai. को संयुक्त रूप से रूपये 50000/– अक्षरे पचास हजार रूपये कुल रूपये 60000/– अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़